भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4186

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

.....

बिहार में भूजल का घटता स्तर

4186. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर बिहार राज्य में भूजल के घटते स्तर के संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भूजल के स्तर में कमी से निपटने के लिए क्या कार्य-योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) देश के सक्रिय भूमि जल संसाधनों का केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से समय-समय पर आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2017 के आकलन के अनुसार देश में कुल 6881 आकलन इकाइयों (ब्लॉक/तालुका/मंडल/वाटरशेड/फिरका) में से 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1186 इकाइयों को 'अति-दोहित" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है जहां वर्तमान वार्षिक भूमिजल निकासी, वार्षिक निकासी योग्य भूमि जल संसाधन से अधिक है। भारत में "अति-दोहित" ब्लॉकों/मंडलों/तालुकों का वर्गीकरण (2017) **अनुलग्नक** में दिया गया है। बिहार में 12 अति-दोहित इकाइयां हैं।

(ग) और (घ) देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986" की धारा 3 (3) के तहत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। सीजीडब्ल्यूए 23 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के जरिए भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। शेष राज /केन्द्र शासित प्रदेश अपने स्वयं के अधिनियमों, अधिसूचनाओं या सरकारी आदेशों के माध्यम से भूजल विकास को विनियमित कर रहे हैं। इसके अलावा, इन राज्यों में सीजीडब्ल्यूए ने प्रत्येक राजस्व जिले के जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलेक्टर तथा सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय निदेशकों को भी प्राधिकृत अधिकारी

के रूप में नियुक्त किया है, जिनके पास अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुपालन को लागू करने का अधिकार है।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त की गई सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए मॉडल भवन उपनियम, 2016 जारी किए गए हैं जिसमें 'वर्षा जल संचयन' पर एक अध्याय शामिल है। इस अध्याय के उपबंध सभी इमारतों पर लागू होते हैं। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष जल संचयन के प्रावधान अपना लिए हैं। वर्षा जल संचयन नीति का कार्यान्वयन, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण के कार्य-क्षेत्र में आता है।

इसके अतिरिक्त, जल उपयोग की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए केन्द्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणा , कमान क्षेत्र विकास कार्य, प्रतिभागी सिंचाई प्रबंधन, जल पुनर्चक्रण तथा पुनःप्रयोग को बढ़ावा दे रही है।

इसके अतिरिक्त, माननीय प्रधान मंत्री ने 08.06.2019 को जल संरक्षण औ वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में सभी सरपंचों को एक पत्र लिखा है और उनसे जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए सभी उचित उपायों को अपनाने का आह्वान किया है।

सचिव (ज.सं.न.वि. और गं.सं.) की अध्यक्षता में 'मानसून वर्षा के इष्टतम उपयोग के लिए जल संरक्षण संबंधी गतिविधियों' के विषय को आगे बढ़ाने के लिए एक 'अंतर मंत्रालयी समिति' का गठन किया गया है, जो समय-समय पर जल संरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक करती हैं। इस समिति में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हैं। इस अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक 01.05.2019 को आयोजित की गई थी।

मंत्रिमंडल सचिव ने 21.05.2019 को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ जल संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की।

11.06.2019 को हुई एक बैठक में जल शक्ति मंत्री द्वारा भी संबंधित मंत्रियों और राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई।

भारत सरकार ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है जो एक मिशन मोड दृष्टिकोण के साथ एक समयबद्ध अभियान है, जिसका उद्देश्य पानी के दबाव वाले ब्लॉकों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार करना है।

जल, एक राज्य विषय होने के कारण, देश में भूजल के संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण सहित जल प्रबंधन पर पहल मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार द्वारा भूजल के संरक्षण, प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित यूआरएल पर हैं:-

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf

*****

अनुलग्नक

"बिहार में भूजल का घटता स्तर" विषय पर दिनांक 18.07.2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 4186 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत (2017) में 'अतिदोहित' ब्लॉक/मंडल/तालुका का वर्गीकरण

क्र.□□	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आकलित इकाईयों की कुल संख्या	अति-दोहित	
			संख्या	संख्या
	राज्य			
1	आंध्र प्रदेश	670	45	7
2	अरुणाचल प्रदेश	11	0	0
3	□□□	28	0	0
4	बिहार	534	12	2
5	छत्तीसगढ़	146	0	0
6	दिल्ली	34	22	65
7	□□□	12	0	0
8	□□□□	248	25	10
9	हरिय□□	128	78	61
10	हिमाचल प्रदेश	8	4	50
11	जम्मू और कश्मीर	22	0	0
12	□□□□	260	3	1
13	कर्नाटक	176	45	26
14	□□□	152	1	1
15	मध्य प्रदेश	313	22	7
16	महाराष्ट्र	353	11	3
17	मणिपुर	9	0	0
18	□□□□	11	0	0
19	मिजोरम	26	0	0
20	□□गालैंड	11	0	0
21	ओड़िश□	314	0	0
22	□□□□	138	109	79
23	राजस्थान	295	185	63
24	सिक्किम	4	0	0
25	तमिलनाडु	1166	462	40
26	□□□□□	584	70	12
27	त्रिपुरा	59	0	0
28	उत्तर प्रदेश^	830	91	11
29	उत्तराखंड	18	0	0
30	पश्चिम बंगाल**	268	0	0
	कुल राज्य	**6828**	**1185**	**17**
	संघ राज्य क्षेत्र			
1	अंडमान और निकोबार	36	0	0
2	□□□□	1	0	0
3	दादरा और नगर हवेली	1	0	0
4	दमन और दीव	2	0	0
5	लक्षद्वीप	9	0	0
6	□दुच्चेरी	4	1	25
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	53	1	2
	□□□ □□	**6881**	**1186**	**17**

टिप्पण

ब्लॉक- बिहार, छत्तीसगढ़,हरियाणा, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम

□□□□ - कर्नाटक, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र

□□□ - आंध्र प्रदेश तेलंगाना

□□□/**घाटी**-अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर

द्वीप - लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

फिरका- तमिलनाडु

क्षेत्र -पुदुच्चेरी

□□ **राज्य क्षेत्र** - चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली,दमन और दीव

□□□□- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

***उत्तर प्रदेश** कुल 820 ब्लॉक और 0 शहर हैं।

** 2013 की स्थिति के अनुसार भूजल संसाधन आकलन किया गया।